न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरणसर

बअदालत – संजीव कुमार, आर. ए. एस.
राजस्व वाद संख्या – 2023/178
राजूराम पुत्र खेताराम जाति सांसी निवासी सूंई तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर
– वादी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) लूनकरणसर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ती
दावा अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट एवं धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित –
1. श्री नेतराम सियाग वादी की ओर से।
2. पैरोकार राज।

–:निर्णय:–

दिनांक :– 07.08.2023

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता श्री नेतराम सियाग दावा अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट एवं 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि वादी के नाम से संयुक्त कृषि भूमि मौजारोही सूई तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 218/1 तादादी 17.0 बीघा खसरा नम्बर 219 ताददी 112.12 बीघा, कुल तादादी 129.12 बीघा व इसी ग्राम के खसरा नम्बर 125/2 तादादी 12.0 बीघा व मौजा रोही ढाणी पुरबाना के खसरा नम्बर 671 तादादी 13.02 बीघा, खसरा नम्बर 672/1 तादादी 22.10 बीघा कुल तादादी 35.12 बीघा खातेदारी भूमि स्थित है। वादी अपने हिस्से के अनुसार कब्जा काश्त हैं। वादगत भूमि वादी की पुरानी पैतृक व खरीदशुदा भूमि है जिसमे वादी का नाम रजीराम जरिये विरास्तन दर्ज किया गया। जो आज तक बदस्तूर चला आ रहा है। वादी का वास्तविक नाम राजूराम है इसलिए वादी अपना नाम रजीराम के स्थान पर राजूराम दर्ज करवाना चाहता है। दिनांक 10.07.2023 को वादी तहसीलदार के पास नाम दुरूस्त करवाने गए तब तहसीलदार ने नाम दुरूस्ती करने से स्पष्ट मना कर दिया। यह दिनांक वाद कारण उत्पन्न हुआ है, यही बिनाय दावा एवं विनाय मुखास्मत है। वादी के नाम से संयुक्त खातेदारी कृषिभूमि मौजारोही सूई तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 218/1 तादादी 17.0 बीघा खसरा नम्बर 219 तादादी 112.12 बीघा, कुल तादादी 129.12 बीघा व इसी ग्राम के खसरा नम्बर 125/2 तादादी 12.0 बीघा व मौजा रोही ढाणी पुरबाना के खसरा नम्बर 671 तादादी 13.02 बीघा, खसरा नम्बर 672/1 तादादी 22.10 बीघा कुल तादादी 35.12 बीघा खातेदारी भूमि खातेदारी भूमि जिसमें वादी अपना नाम रजीराम के स्थान पर राजाराम दर्ज कर शुद्ध करने की घोषणा करवाना चाहता है। वादी ने वादपत्र के साथ साक्ष्य के रूप में छायाप्रति जमाबन्दी संवर्त 2073–2076 ग्राम सुंई, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन, शपथ पत्र एवं कार्यालय ग्राम पंचायत सुंई दुरूस्ती के समर्थन मे जारी पत्र आदि दस्तावेजो की छाया प्रतियो के अतिरिक्त दुरूस्ती के

पक्ष मे शपथ पत्र पेश किए गए है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दुरूस्ती के पक्ष मे रिपोर्ट शामिल मिसल है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। पैरोकार राज ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी अपने साक्ष्य से साबित करें कि वादी का नाम राजूराम ही हैं। वादी का नाम रजीराम के स्थान पर राजूराम न्यायिक हित में किया जाता है तो सरकार को हानि नहीं हो रही हैं।

उभयपक्ष की बहस सूनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में दावा मीमो के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी के नाम संयुक्त खातेदरी कृषि भूमि मौजारोही सूई तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 218/1 तादादी 17.0 बीघा खसरा नम्बर 219 ताददी 112.12 बीघा, कुल तादादी 129.12 बीघा व इसी ग्राम के खसरा नम्बर 125/2 तादादी 12.0 बीघा व मौजा रोही ढाणी पुरबाना के खसरा नम्बर 671 तादादी 13.02 बीघा, खसरा नम्बर 672/1 तादादी 22.10 बीघा कुल तादादी 35.12 बीघा खातेदारी भूमि अपने हिस्से अनुसार कब्जाकाश्त में हैं। कब्जाकाश्त जो आज तक बदस्तूर चला आ रहा है। अन्य सभी दस्तावेजो मे वादी का नाम राजूराम होने के कारण वादी राजस्व रिकॉर्ड मे रजीराम के स्थान पर राजूराम नाम की घोषणा करवाने का हकदार है जिसकी घोषणा की जावें।

वादपत्र के साथ साक्ष्य के रूप में छायाप्रति जमाबन्दी संवर्त 2073–2076 ग्राम सुंई, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन, शपथ पत्र एवं कार्यालय ग्राम पंचायत सुंई दुरूस्ती के समर्थन मे जारी पत्र आदि दस्तावेजो की छाया प्रतिया पेश की जिनके आधार नाम दुरूस्त किया जाता है तो राज्य को कोई आपति नहीं है।

हमने उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एंव तहसीलदार जवाब व वादी की ओर से पेश किये गए साक्ष्य के आधार पर वादगत भूमि में वादीया का नाम राजूराम सही प्रतीत होता है। जबकी अन्य दस्तावेजो मे वादी का नाम राजूराम ही है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि वादगत भूमि मौजारोही सूई तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 218/1 तादादी 17.0 बीघा खसरा नम्बर 219 तादादी 112.12 बीघा, कुल तादादी 129.12 बीघा व इसी ग्राम के खसरा नम्बर 125/2 तादादी 12.0 बीघा व मौजा रोही ढाणी पुरबाना के खसरा नम्बर 671 तादादी 13.02 बीघा, खसरा नम्बर 672/1 तादादी 22.10 बीघा कुल तादादी 35.12 बीघा खातेदारी बारानी भूमि में वादी का नाम रजीराम के स्थान पर राजूराम दुरूस्ती की घोषणा की जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार लूनकरणसर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07.08.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

ब इजलास : संजीव कुमार आरएएस

राजूराम **बनाम** **सरकार**

दावा अंतर्गत धारा 88 आरटीए, धारा 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर :
178 / 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **वकील वादी श्री नेतराम सियाग,** मिनजानिब मुदई **पैरोकारराज राज्य की ओर से** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि मौजारोही सूई तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 218/1 तादादी 17.0 बीघा खसरा नम्बर 219 तादादी 112.12 बीघा, कुल तादादी 129.12 बीघा व इसी ग्राम के खसरा नम्बर 125/2 तादादी 12.0 बीघा व मौजा रोही ढाणी पुरबाना के खसरा नम्बर 671 तादादी 13.02 बीघा, खसरा नम्बर 672/1 तादादी 22.10 बीघा कुल तादादी 35.12 बीघा खातेदारी बारानी भूमि में वादी का नाम रजीराम के स्थान पर राजूराम दुरूस्ती की घोषणा की जाती है। तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

नीज ....- ....मुबलिक ....- ....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -.......................... फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ....-........................ को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 07.08.2023 को डिक्री जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर